

## शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय, विभाग।

सेवा में

मुख्य सचिव हरियाणा,  
मानव संसाधन विभाग (सामान्य प्रशासन शाखा-III),  
हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़।

यादि क्रमांक:- डी0यू0एल0बी0/प्रशा0/4ए/2022/20026  
दिनांक:-10.05.2022

विषय:- **Regarding Amendment in Service Rules regarding lower and upper age limit.**

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 3/5/2014-4GS-III दिनांक 16.03.2022, पत्र क्रमांक 3/5/2014-4GS-III दिनांक 10.05.2022 तथा निदेशालय के पत्र क्रमांक डी0यू0एल0बी0/प्रशा0/4ए/2022/ 11773 दिनांक 24.03.2022 के क्रम में।


2. विषयाधीन मामले में आपकी सेवा में सानुरोध अवगत करवाया जाता है कि निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निम्नलिखित विभागीय सेवा नियमों (क्रम संख्या 1 से 5) में सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा (न्यूनतम एवं अधिकतम) बारे संशोधन करते हुए दिनांक 17.03.2022 को अधिसूचनाएं जारी करवाते हुए आपकी सेवा में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में भेज दी गई थी:-

- (i) हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप 'क') सेवा नियम, 2009
- (ii) निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप 'ख') सेवा नियम, 1997
- (iii) हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय (ग्रुप 'ग') सेवा नियम, 1997
- (iv) हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप 'घ') सेवा नियम, 1996
- (v) हरियाणा नगर निगम, कर्मचारी (भर्ती एवं शर्तें) सेवा नियम, 1998

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य की नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के लिए निम्नलिखित सेवा नियमों में संशोधन हेतु अंतिम अधिसूचना दिनांक 08.04.2022 (प्रतिलिपियां संलग्न) को जारी भी करवा दी गई थी:-

- (i) हरियाणा नगर पालिका सेवायें (एकीकरण, भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2010
- (ii) हरियाणा सफाई मज़दूर सेवा नियम, 1976

3. शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सभी सेवा नियमों (निदेशालय तथा पालिकाओं) में न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा बारे संशोधन किया जा चुका है।

 10.05/2022

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)  
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा, पंचकूला,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

प्रतिलिपि:-

1. पी0एस0/पी0एस0यू0एल0बी0
2. पी0ए0/डी0यू0एल0बी0
3. यू0एस0यू0एल0बी0/अधीक्षक कमेटी-I तथा II
4. उपनिदेशक, डी0यू0एल0बी0/अधीक्षक स्थापना/अनुभाग अधिकारी
5. जी0एम0 (आई0टी0) (with the request for uploading the notification on official website of the Urban Local Bodies, Department)





# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 65-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 8, 2022 (CHAITRA 18, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 8 अप्रैल, 2022

संख्या 8/12/2022-4क II.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 38, 39 तथा धारा 257 की उपधारा (1) के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 8/12/2022-4क II, दिनांक 17 मार्च, 2022 के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, यथा अपेक्षित हरियाणा नगर पालिका सेवाएं (एकीकरण, भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियम, 2010 (जिसे, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है), में निम्न संशोधन करते हैं:-

1. ये सेवा नियम हरियाणा नगर पालिका सेवायें (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्तों) (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।
2. उक्त नियमों के नियम 5 में शब्द 'सत्रह' के स्थान पर शब्द 'अठारह' और शब्द 'चालीस' के स्थान पर शब्द 'बयालीस' क्रमशः प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
3. यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अरुण गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 8th April, 2022

**No. 8/12/2022-4C II.**— In exercise of the powers conferred by Sections 38, 39 and clause (m) of Sub-section (1) of Section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, and with references to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. 8/12/2022-4C II, dated 17th March, 2022, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Services (Integration, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2010 namely:-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Services (Integration, Recruitment and Conditions of Service) (First Amendment) Rules, 2022.
2. In rule 5, of the said rules, for the word "seventeen" the word "eighteen" and for the word "forty" the words and sign "forty-two" shall respectively be substituted.
3. This amendment shall be applicable with immediate effect.

ARUN GUPTA,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 65-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 8, 2022 (CHAITRA 18, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 8 अप्रैल, 2022

संख्या 8/12/2022-4क II.- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973(1973 का 24) की धारा 257 की उप धारा (1) के खण्ड (एम) के साथ पठित धारा 40 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 8/12/2022-4क II, दिनांक 17 मार्च, 2022 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, यथा अपेक्षित हरियाणा सफाई मजदूर सेवा नियम, 1976 (जिसे, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है), में निम्न संशोधन करते हैं:-

1. ये सेवा नियम हरियाणा सफाई मजदूर (प्रथम संशोधन) सेवानियम, 2022 कहे जा सकते हैं।
2. उक्त नियमों के नियम 5 में शब्द 'सत्रह' के स्थान पर शब्द 'अठारह और शब्द 'पैतीस' के स्थान पर शब्द 'बयालीस' क्रमशः प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
3. यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अरुण गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।



**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 8th April, 2022

**No. 8/12/2022-4C II.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 40 read with clause (m) of Sub-section (1) of Section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973 and all other powers enabling him in this behalf, and with references to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. 8/12/2022-4C II, dated 17th March, 2022, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Safai Mazdoor Service Rules, 1976 namely:-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Safai Mazdoor Service (First Amendment) Rules, 2022.
2. In rule 5, of the said rules, for the word “seventeen” the word “eighteen” and for the words and sign “thirty-five” the words and sign “forty-two” shall respectively be substituted.
3. This amendment shall be applicable with immediate effect.

ARUN GUPTA,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.